उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वै0आ0–सा0नि0) अनु0–7
संख्या २९० /XXVII (7)/ 2012
देहरादून :: दिनांक 19 अक्टूबर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– वित्त विभाग में टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षण।

विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग में टी0ए0सी0 द्वारा कार्यों के आगणनों/ पुनरीक्षित आगणनों का परीक्षण कराया जाता है और तद्क्रम में वित्त विभाग के स्तर से लागत पर सहमति व्यक्त की जाती है। इस सम्बन्ध में टी0ए0सी0 द्वारा किये जाने वाले परीक्षण का विस्तार क्षेत्र (Scope) कार्यालय ज्ञाप संख्या 50 /XXVII (7)/ 2012, दिनांक 12 अप्रैल, 2012 द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। उपरोक्त इंगित कार्यालय ज्ञाप में यह सुस्पष्ट किया गया है कि टी0ए0सी0 परीक्षण मात्र शेड्यूल दरों (SOR) के आधार पर लागत की गणना के परीक्षण तक ही सीमित है तथा टी0ए0सी0 परीक्षण को किसी भी दशा में तकनीकी स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता। उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी स्वीकृति, आगणन में किये गये प्राविधानों, डिजाइन, ड्राइंग, सुरक्षा उपाय, मात्रा, मापन आदि के लिए ग्राहक विभाग/ कार्यदायी संस्था ही पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

2–इस मध्य यह देखा गया है कि विभागों द्वारा निर्माण/ अवस्थापना कार्यों के पुनरीक्षित आगणनों में अनुमोदित शिड्यूल ऑफ रेट्स से इतर भिन्न दरों पर गठित अनुबन्ध में उल्लिखित दरों एवं अनुबन्ध के सापेक्ष अतिरिक्त मदों की दरों के आधार पर आंगणन टी0ए0सी0 के परीक्षण हेतु प्रेषित किये जाते हैं एवं कार्यस्थलसे निकटतम दूरी पर उपलब्ध खनन क्षेत्र से निर्माण सामग्री की ढुलान दरों के आंकलन के स्थान पर दूरस्थ खनन क्षेत्र से ढुलान दरों को सम्मिलित किया जाता है।

3–उपर्युक्त के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 50 /XXVII (7)/ 2012, दिनांक 12 अप्रैल, 2012 के क्रम में टी0ए0सी0 के विस्तार क्षेत्र (Scope) को और स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टी0ए0सी0 को प्रेषित किये जाने वाले पुनरीक्षित आंगणनों में किये गये कार्य तथा शेष कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित 'शिड्यूल ऑफ रेट्स' तथा निकटतम खनन क्षेत्र से निर्माण सामग्री के ढुलान दरों के आधार पर ही व्यवस्था की जाए और अनुबन्ध के आधार पर आकलित/ अनुमोदित दरों, दूरस्थ खनन क्षेत्र से निर्माण सामग्री के ढुलान दरों तथा अनुबन्ध की शर्तों हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता विभाग/ कार्यदायी संस्था ही पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

संलग्नकः–यथोपरि।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या २९० (1)/XXVII (7)/ 2012, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, नियोजन, राजय योजना आयोग प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. अधिशासी अभियन्त, टी0ए0सी0 (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य एकक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।